

20th May and not on the 21st May. The demonstrators surrounded the car of the G. M. at the time of his leaving the office and after detaining him for some time, they dispersed after presenting a Memorandum to the General Manager containing several demands relating to the recognition of the dissident group of the Eastern Railwaymen's Union, trade union rights etc. Most of these demands had been examined in the past and not found acceptable. They will continue to be examined on their merits.

Export of Iron Ore to Japan

*415. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Japanese firms have expressed the desire to pay 15 shillings extra per ton of iron ore, if it is exported from Paradeep Port in Orissa;

(b) if so, the action being taken by Government to increase the iron ore export from Paradeep; and

(c) whether it is a fact that the M.M.T.C. has offered a reduced price to the Japanese firms to accept iron ore from the port like Calcutta?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

कानपुर के औद्योगिक संस्थानों से सूख किये जाने वाला रेलवे भाड़ा

*416. श्री शिवचरण रास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के औद्योगिक संस्थानों वर्षात् जुनी साल कमला पत, लक्ष्मी रतन काटेन मिल्स, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, सिद्ध इंजीनियरिंग वर्क्स, म्युर मिल्स, आदि औद्योगिक संस्थानों से 1 अप्रैल 1966

तक की अवधि के लिये रेलवे भाड़े तथा इन संस्थानों में रेलवे द्वारा बनाई रेलवे साइडिंग्स की रखरखाव के लिये खर्च के लिये कुल कितनी राशि बसूल करनी होगी ; और

(ख) इस अत्यधिक बकाया राशि को बसूल करने के लिये रेलवे प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री वे० मु० पुनावा) :

(क) उल्लिखित फर्मों और कुछ अन्य फर्मों के जिम्मे बकाया भाड़ा और अनुसूचित प्रभार के सम्बन्ध में एक बयान तथा-पटल पर रख दिया गया है। [एस्तकालख में रखा गया। देखिये संख्या L.T.—588/67]

(ख) रेल प्रशासन फर्मों से सम्पर्क स्थापित करता है और पत्र लिख कर निवेदन करता है कि बकाया रकम का भुगतान करें। यदि इसके कोई परिणाम नहीं निकलता तो रेल प्रशासन उन्हें चेतावनी देता है कि यदि एक निश्चित अवधि में बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया तो रेलवे उनके माल को रोक लेगी जिसके सम्बन्ध में अधिनियम को धारा 55 के अन्तर्गत रेलवे को ग्रहणाधिकार प्राप्त है या साइडिंग में माल डिब्बे पहुंचाना बन्द कर देगी। यदि इस नोटिस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता तो दी गयी चेतावनी पर अमल किया जाता है।

700 H.P. Diesel Locomotives

*417. Shri Hem Raj: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 700 H.P. diesel locomotives have been designed by the Railway Research, Designs and Standards Organisation for the Narrow Gauge Section;

(b) if so, whether their manufacture has been undertaken and at which place; and

(c) by what time these locomotives will be put on the rails on the narrow-gauge sections and which narrow-